

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी
दिनांक:-

क्रमांक: रीडर/रास्ता/2025/

तहसीलदार (राजस्व)
टिब्बी।

विषय :- प्रकरण सं० 03/2022 में पारित निर्णय की पालना के संबंध में।

अनवान : -

1 सुरेन्द्र कुमार पुत्र बलराम पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थी


बनाम्

2 तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एअ आर एक्ट

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 03/2022 अनवान सुरेन्द्र कुमार बनाम तहसीलदार आदि में निर्णय दिनांक 31/01/25 में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन न हो तो वे तहसील टिब्बी के चक नं० 4 एनजीआर जमाबन्दी संवत् 2075 ता 78 के खता सं० 27/24 में कुल 0.506 है० आराजी में अंकित वादी के दादा की जाति सुनार के स्थान पर दुरुस्ती की जाकर जाति जाट अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।


(सरनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़